लक्ष्मण गेहलोत पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र गेहलोत जाति माली, निवासी- थलियों का बास, उपरली ढलावतो का बेरा, मण्डोर जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती हीरा पत्नी पारस भाटी पुत्री स्व. रामचन्द्र जी, जाति माली, निवासी- मोती चौक, जोधपुर।
2. श्यामसिंह पुत्र स्व. रामचन्द्र जी, जाति माली, निवासी- उपरली ढलावतों का बेरा, मण्डोर जोधपुर।
3. जब्बरसिंह पुत्र श्री चेतन जी, जाति माली, निवासी- पदाला बेरा मण्डोर, जोधपुर।
4. नितीन परिहार पुत्र श्री धर्मसिंह जी, जाति माली, निवासी- परिहारों का बास, मगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर।
5. श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री डालाराम जी, निवासी- मगरा बावड़ी, बेरा चौखा, जोधपुर।
6. डालाराम पुत्र श्री नामालूम, निवासी- मगरा बावड़ी, बेरा चौखा जोधपुर।
7. ओमादेवी पत्नी श्री श्याम, निवासी- मगरा बावड़ी, बेरा चौखा जोधपुर।
8. उम्मेदसिंह पुत्र श्री कानाराम जी, निवासी- मगरा बावड़ी, बेरा चौखा, जोधपुर।
9. अखेसिंह पुत्र श्री धन्नाराम जी, निवासी- मगरा बावड़ी, बेरा चौखा जोधपुर।
10. पुलिस थाना मण्डोर जोधपुर।
11. उप पंजीयक अधिकारी, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 04 जनवरी 2022 राजस्व विविध अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 49/2021 लक्ष्मण गेहलोत बनाम श्रीमती हीरा इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित-

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

निर्णय

दिनांक : 14 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व विविध अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 49/2021 लक्ष्मण गेहलोत बनाम श्रीमती हीरा मे पारित आदेश दिनांक 04 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 23 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारान् को सुनकर दिनांक 04.01.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश दिनांक 25.06.2021 को रिव्यू करने बाबत एवं ऐसा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी

तथ्यात्मक वाक्यात को दरकिनार करते हुए आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली तहसीलदार जोधपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लंबित थी, परन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये एवं बिना रिपोर्ट का अवलोकन किये आलौच्य आदेश पारित कर दिया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2021 को अपने आदेश में स्पष्ट माना कि 'वर्तमान मौका रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो रहा कि निर्माण के बेचान के स्वरूप किया जा रहा है, क्योंकि विनोद शर्मा न तो इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार है न ही स्पष्ट हुआ कि बेचान स्वरूप निर्माण किया जा रहा है, मौका फर्द से स्पष्ट नहीं हो रहा कि विनोद शर्मा द्वारा किस हैसियत से निर्माण करवाया जा रहा है तथा इस बाबत जोधपुर तहसीलदार को पुनः निर्देश दिये जाते है कि वह स्वयं मौके या कम से कम नायब तहसीलदार स्तर का अधिकारी मौके पर जाकर स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करते हुए मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करे कि मौके पर निर्माण कार्य किस पक्षकार द्वारा किया जा रहा है व किस हैसियत से किया जा रहा है, की रिपोर्ट सात दिवस में पेश करे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट का इंतजार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी गौर नहीं किया गया है कि राजस्व न्यायालय में वाद लंबित है तथा उसमें सभी खातेदार पक्षकार है तथा सभी पक्षकारों को न्यायालय के स्थगन आदेश की जानकारी भी है, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने कृषि भूमि को बिना अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण करवाए ही विवादग्रस्त भूमि पर चार दीवारी बनाना शुरू कर दिया, इस कारण भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी गौर नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का बेचान हस्तांतरण व निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा रिसीवर न

नियुक्त किये जाने से प्रार्थी व खातेदारान् के हित प्रभावित होते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि दिनांक 05.01.2022 से राज्य सरकार के निर्देशानुसार नई कोविड गाईडलाईन्स के अनुसार लॉक डाउन लगाया गया था, जिस कारण प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी थी। जब प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण की जानकारी प्राप्त करना चाही तब उसे आलौच्य आदेश दिनांक 04.01.2022 की जानकारी प्राप्त हुई। तब प्रार्थी द्वारा आलौच्य आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया तथा सत्यापित प्रति प्राप्त होते ही यह अपील प्रस्तुत कर दी। प्रार्थी द्वारा किसी उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु अपील को देरी से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 जनवरी 2022 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को स्वीकार फरमाया जाकर उसमें चाही गई इस्तदुआ प्रार्थी के पक्ष में पारित की जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या तीन ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वाद में पक्षकार ही नही है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में केवल बेचान नहीं करने का ही स्थगन आदेश पारित किया है। सीपीसी 43ए के तहत हस्तगत अपील पोषणीय ही नहीं है। प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे विवेचित किया है कि ''मौके की यथास्थिति के संबंध में स्थगन आदेश ही नहीं है तो मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है।'' अदालत हाजा विचारण न्यायालय के विवेचन से सहमत है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना में मौके की यथास्थिति के संबंध में आदेश नहीं होने से मौके की वस्तुस्थिति बाबत किसी रिपोर्ट की प्रथमदृष्टया कोई आवश्यकता नहीं है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा विचारण न्यायालय के उक्त तर्क से सहमत है तथा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 जनवरी 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर